न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी

श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 67/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्रीकरणपुर		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : 27/08/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रामप्रताप पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी नग्गी तहसील श्री करणपुर के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 34 एच के मु.न. 51 के किला नंबर 11 ता 15 राजस्व रिकॉर्ड में बारानी में अंकित है। परन्तु सीसीए में उक्त भूमि नहरी दर्ज है। पानी की पर्ची भी है। मौका पर उक्त रकबा पर पानी भी लग रहा है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि उक्त रकबा बारानी से नहरी दर्ज किया जावे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 7/5 के मु.न. 42, 51, 68, 11/9 की जमाबन्दी की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2015 के खाता संख्या 82 चक 34 एच की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2027 ता 2036 चक 34 एच की प्रति, मिसल बन्दोबस्त 1990 चक 34 एच की प्रति एवं सीसीए स्टेटमेन्ट की प्रति, पर्ची बाराबन्दी (पानी की पर्ची) की प्रति पेश की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार श्री करणपुर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के क्रमांकः टीआरए/ 435 दिनांक 11.03.2020 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 7 के मु.न. 42, 51, 68, 11/9 की कुल 13.406 हैक्टर नहरी बारानी भूमि मुताबिक रिकॉर्ड दर्ज है। चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 बारानी दर्ज रिकॉर्ड है। गत जमाबन्दी सम्वत 2015 चक 34 एच में उक्त रकबा नहरी दर्ज है। उसके बाद बनी जमाबन्दी में सहवन से मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 की भूमि बारानी रिकॉर्ड दर्ज हो गई। जो आज तक बकरार चली आ रही है। उक्त रकबा सी.सी.ए. में भी नहरी है। उक्त रकबे की पानी की पर्ची भी बनी हुई है। जमाबन्दी 2015 में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 की कुल 5 बीघा नहरी भूमि दमन सिंह वगैरा के नाम अलॉट थी। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त रकबा राजस्थान उपनिवेशन (गंगनहर के क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवटन एवं विक्रय) नियम 1956 के तहत आवटन नहीं है। अतः राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प-7(7) उप-/2005/जयपुर दिनांक 25.08.2007 के अनुसार मौरूषी खातेदारों से अन्तरराशि देय नहीं है। इसलिए इस प्रकरण में राजस्व विभाग की अनकमाण्ड से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

कमाण्ड हुए रकबे की अन्तर राशि जमा होने से शेष नहीं है। अतः रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में नहरी किया जाना उचित है। तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के साथ सलग्न पटवारी हलका 34 एच की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11,12,13,14,15 पर पानी लगता है। उक्त रकबा सम्वत 2001 की जमाबन्दी में नहरी दर्ज है। इस प्रकार रिकॉर्ड में रकबा बारानी सहवन से दर्ज हो गया। जिसे दुरूस्त कर नहरी दर्ज किया जाना उचित है।

बहस सुनी गई प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा चक 34 एच के मु.न.51 के किला नंबर 11,12,13,14,15 की बारानी भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किए जाने बावत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11 ता 15 की बारानी भूमि रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त रकबा जमाबन्दी 2001 के अनुसार नहरी दर्ज रिकॉर्ड है। उसके बाद की जमाबन्दी में सहवन से बारानी दर्ज हो गया उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में बारानी से नहरी दर्ज किया जाना उचित है। कोई अन्तरराशि देय नहीं है। पटवारी हलका 34 एच की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11,12,13,14,15 पर पानी लगता है। पानी की पर्ची बंधी हुई है। सीसीए रिकॉर्ड में रकबा कमाण्ड दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11,12,13,14,15 की कुल 1.265 हैक्टर बारानी भूमि को नहरी अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। इस विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष कुमार आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 27/8/21...... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनायागया।

{सुभाष कुमार आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर
दूरभाष न0:– 01501226005 ईमेल–sdo.srikaranpur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- राजस्व/2021/ २९७ दिनांक :- २७/०८/२१

तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

विषयः- प्रकरण संख्या 67/2021 अनवान रामप्रताप बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित **निर्णय दिनांक 27.08.2021 के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 27.08.2021 के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 34 एच की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 के खाता संख्या 7 में मुरब्बा नम्बर 51 के किला नम्बर 11,12,13,14,15 की कुल 1.265 हैक्टर बारानी भूमि को नहरी अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस विचारण न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर
सत्यमेव जयते

{सुभाष कुमार आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर